FORM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

हनुमान दास बनाम चन्दा देवी वगै0

किस्म मुकदमा – इजराय   मुकदमा नम्बर– 11/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
06.04.2022	वकील डिक्रीदार श्री आदित्य प्रताप सिंह नरूका एड0 ने उपस्थित होकर इजराय प्रार्थना पत्र पेश किया। इजराय दर्ज रजिस्टर की जावें। न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.03.2022 की पालना में राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु (यदि प्रकरण में किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश आदि नहीं हो तो) तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर जारी की जावें। पत्रावली वास्ते प्राप्त होने पालना रिपोर्ट दिनांक 05.05.2022 को पेश हो। दिलीप सिंह सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)	
4/3/25	पत्रावली तारीख पेशी से गिरकर आज पेश हुई। वकील डिक्रीदार उपस्थित। प्रकरण में पटवारी द्वारा अवगत कराया है कि प्रकरण में ऑनलाईन मिलान किये जाने पर इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की पालना तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा जरिये नामान्तकरण संख्या 358 दिनांक 27.02.2023 के द्वारा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो चुकी है। प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः इजराय पत्रावली को आगे नहीं चलाकर इसी स्तर पर खारिज की जाकर [illegible] जाने की स्वीकृति दी जाती है। पत्रावली [illegible] बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (अनिल कुमार) सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)	ऑनलाईन राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर पाया कि ना.सं. 358 दि. 27.02.2023 द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया गया। पटवारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 15:57:45 IST
Reason: SelfAttested